FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

भोलाराम बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट नं. 55/2021 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2-21	रिपोर्ट सादिरत्ता होकर प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. एक्ट. पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दि. 09.02.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2-21	पत्रावली पेश हुयी। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुयी। वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 22.02.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22 2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के पुत्र के पिता का सही नाम मूसाराम पुत्र नानुडा जाति बलाई है। परन्तु सम्वत 2026 से 2029 की जमाबन्दी में सहवन से मुखा पुत्र नानुडा जाति हरिजन बलाई तथा सम्वत 2047 से 2050 की जमाबन्दी में सहवन से मुखा पुत्र नानुडा जाति गुर्जर अंकित होने से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय मुखा पुत्र नानुडा जाति [illegible] दर्ज कर दिया। प्रार्थी के पुत्र ने प्रार्थना पत्र के [illegible] पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की [illegible] नीमकाथाना ने जरिये पत्रांक 718 दिनांक 3.2.21 रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर[illegible] का कथन किया। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:37:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम जो की तामील
	प्रार्थी के पिता का नाम मुखा पुत्र नानुडा जाति गुर्जर अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मूसाराम पुत्र नानुडा जाति बलाई पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। प्रार्थी के पुत्र भोलाराम के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 9.2.21 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम छापर स्थित भूमि खाता संख्या 172 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में <u>मुखा पुत्र नानुडा जाति गुर्जर</u> के स्थान पर <u>मूसाराम पुत्र नानुडा जाति बलाई</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:03 IST
Reason: SelfAttested